

**मूल वाद में डिक्री**  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)  
**न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु**  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) **रिविया**

पीठासीन अधिकारी :- **श्री राहुल सैनी आर.ए.एस.**

उनवान

**शक्ति कुमार**

बनाम

**राजस्वामि-सरकार**

दावा बाबत **नाम दुरुस्ती U/S 88 R.T.A.**

मुकदमा नम्बर :- **112/2021**

निर्णय दिनांक :- **23-11-2021**

वादी की ओर से **स्वयं** की व प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **23-11-2021** को **श्री राहुल सैनी आर.ए.एस.** (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, चूरु के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

**दावा वादी शक्ति कुमार रोही गुप्त रिविया खेत खता संख्या 213 में अर्जित खातेदार काबू पुत्र उदाराम के स्वाम्य पर शक्ति कुमार पुत्र उदारम दुरुस्ती करने का आदेश दिया जाता है। सहस्रीत्कार चूरु को उक्त दुरस्ती शपथ रिकॉर्ड में अमल दराजद करने का आदेश दिया जाता है।**

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **23-11-2021** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



**23/11/21**

( राहुल सैनी )  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी

**वाद के खर्चे**

वादी	प्रतिवादी
रुपया	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	अर्जी के लिए स्टाम्प
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	प्लीडर की फीस
4. .....रुपये पर प्लीडर की फीस	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	आदेशिका की तामील
6. कमिश्नर की फीस	कमिश्नर की फीस
7. आदेशिका की तामील	
जोड़	जोड़



**शिवराम 1311**

**23-11-2021**